

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या—17 / एल 1—11 / 2025—

पटना, दिनांक— / / 2025

डा० रेवती सिंह, व्याख्याता (संविदा), ओरल सर्जरी विभाग, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को दिनांक—17 05 2025 से 03 06 2025 तक की अवधि में विदेश (Greece) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० सिंह, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से सबधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगी।
3. डा० सिंह, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेगी।
4. डा० सिंह, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगी।
5. डा० सिंह, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगी।
6. डा० सिंह, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार—पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक—17 / एल 1—11 / 2025— 288(17) / पटना, दिनांक—21 / 03 / 2025

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० रेवती सिंह, व्याख्याता (संविदा), ओरल सर्जरी विभाग, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari
विशेष कार्य पदाधिकारी।
मे.